	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में त्वरित सुनवाई के प्रार्थना पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित। अतः विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। त्वरित सुनवाई में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में आवश्यक कार्यवाही करने के निवेदन पर त्वरित सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन की बहस में निवेदन किया कि मौजा निम्बला के खेत खसरा नम्बर 188, 197, 739/186, 740/198 की भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है एवं पैतृक भूमि है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता का 1/5 वां हिस्सा निहित होने से पैतृक भूमि में प्रार्थीगण का भी 1/15-1/15 हिस्सा बनता है। उक्त संयुक्त खातेदारी पैतृक भूमि में प्रत्येक का हक हिस्सा निहित है, किन्तु विप्रार्थी संख्या 1 भूमि का बेचान करने पर आमादा है। यदि पैतृक संयुक्त खातेदारी में विभाजन पूर्व बेचान किया जाता है, तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अपने पुश्तैनी हक हिस्सा से वंचित होना पड़ेगा। अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित आराजी का बेचान नहीं करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।	

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उक्त पत्रावली के संलग्न खतौनी बंदोबस्त व जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत उनके विधिक वारिशान का जन्मतः अधिकार निहित हो जाता है। इस प्रकार विवादित आराजी में प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित होने से यदि विवादित आराजी का विभाजन पूर्व बेचान किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने एवं पैतृक अधिकारों से वंचित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति पैदा होगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा निम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 188, 197, 739/186, 760/198 रकबा क्रमशः 0.7608, 4.6620, 2.2986, 1.9182 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जाती है। पत्रावली फैसल सुनार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)